झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अधिसूचना

संख्या— म०मं०स०-05/वे०भ० संशोधन -128/2017 883 / दिनांक- 02/7/2024

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम — 04, 2001) की धारा 10, झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम— 08, 2006), झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम— 07, 2008) सहपठित झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम— 16, 2011) की धारा—6 एवं झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली, 2015 के नियम—9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली, 2015 (समय—समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—**
   (i) यह नियमावली झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) नियमावली, 2024 कहलायेगी ।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (iii) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रभावी होगी।
   (iv) इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय एवं संदर्भ के विरुद्ध न हो,
      (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001,
      (ख) "मंत्री" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 164 के अधीन राज्यपाल द्वारा उस रूप में नियुक्त व्यक्ति, इसमें राज्यमंत्री/उप—मंत्री शामिल हैं,
      (ग) "सदस्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान सभा का सदस्य,
      (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

2. **मंत्रियों का वेतन—**

मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप—मंत्री शपथ—ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे—

(i) मुख्यमंत्री — रु0 1,00,000/—(एक लाख) प्रतिमाह
(ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उप—मंत्री — रु0 85,000/—(पचासी हजार) प्रतिमाह

इनके वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

3. **मंत्रियों का प्रभारी भत्ताः—**

मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप—मंत्री शपथ—ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित प्रभारी भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे—

(i) मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप—मंत्री — रु0 3,000/— (तीन हजार) मात्र प्रतिदिन राज्य के अन्दर एवं रु0 4,000/— (चार हजार) मात्र राज्य के बाहर प्रतिदिन।

(ii) हवाई / जलपोत यात्रा करने के समय मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री के साथ 03 (तीन) सहयात्री टिकट क्रय कर भारत में यात्रा करने के हकदार होंगे। हवाई यात्रा / जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों का भुगतान तथा HOR मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा पूर्ववत् किया जाता रहेगा।

4. **क्षेत्रीय भत्ता**–

मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री शपथ–ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित क्षेत्रीय भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे–

(i) मुख्यमंत्री – रु0 95,000 / –(पंचानवे हजार) मात्र प्रतिमाह
(ii) मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री– रु0 95,000 / –(पंचानवे हजार) मात्र प्रतिमाह

5. **सत्कार भत्ता**–

मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री शपथ–ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित **सत्कार भत्ता** प्राप्त करने के हकदार होंगे–

(i) मुख्यमंत्री –रु0 70,000 / –(सत्तर हजार) मात्र प्रतिमाह
(ii) मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री– रु0 55,000 / –(पचपन हजार) मात्र प्रतिमाह

6. **चिकित्सा सुविधाः**–

राज्य के मंत्री को चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा परिचर्या एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उन नियमों के अधीन प्राप्त होगा जो राज्य सरकार का स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड समय–समय पर अवधारित करे।

7. **मंत्रियों का आवास**–

(i) प्रत्येक मंत्री, रांची में अपनी पदावधि तक और उसके बाद ठीक एक माह की कालावधि तक अथवा ऐसे अन्य स्थान पर, जिसे राज्य सरकार, समय–समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, उस कालावधि के लिए, सरकार का मुख्यालय घोषित करे, जिसे उस घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, बिना किराये के सुसज्जित आवास का उपयोग करने का हकदार होगा।

(ii) ऐसे आवास के अनुरक्षण के संबंध में कोई प्रभार व्यक्तिगत रूप से मंत्री पर नहीं पड़ेगा, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।

स्पष्टीकरणः– इस नियमावली के प्रयोजनार्थ "आवास" के अन्तर्गत स्टाफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी और आवास से संबंधित अनुरक्षण के अन्तर्गत स्थानीय करों एवं अन्य करों के भुगतान तथा विविध शक्ति और जल की आपूर्ति भी सम्मिलित है।

(iii) मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री को रु0 60,00,000 / – (साठ लाख) मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर आवास ऋण की सुविधा अनुमान्य होगी।

(iv) उपस्कर एवं आवास सुसज्जन–मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री को एक टर्म के लिए उपस्कर एवं आवासीय कार्यालय सुसज्जन हेतु रु० 3,00,000/– (तीन लाख) मात्र तथा इसके रख–रखाव के लिए प्रतिवर्ष रु० 20,000/– (बीस हजार) मात्र देय होगा।

8. **मंत्रियों को मोटर गाड़ी खरीदने हेतु अग्रिम एवं सवारी भत्ता का दिया जाना–**

(i) राज्य सरकार समय–समय पर मंत्रियों के उपयोग के लिए मोटरगाड़ी खरीद सकेगी और ऐसी शर्त्तों पर उपबंध करेगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे,

परन्तु यदि कोई मंत्री राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई मोटरगाड़ी नहीं रखे तो उन्हें उसके बदले सवारी भत्ते की ऐसी रकम और मोटरगाडी की खरीद के लिए प्रतिदेय अग्रिम के तौर पर ऐसी धनराशि उन निबंधनों पर दी जाएगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे, ताकि वह अपने पद के कर्त्तव्यों का सुविधा और दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सके।

(ii) कोई भी मंत्री ऐसी रियायती दर पर और ऐसी अन्य शर्त्तों पर, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर, नियमों द्वारा अवधारित करे, प्रभार करे, प्रभार के भुगतान पर स्टाफ कार के उपयोग करने का हकदार हो।

स्पष्टीकरण:– इस उप कंडिका के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्त "स्टाफ कार" से अभिप्रेत है कार्यालय के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा खरीदा गया और अनुरक्षित कोई मोटरगाड़ी।

(iii) मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री को रु0 20,00,000/– (बीस लाख) मात्र तक 4 (चार) प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर मोटरगाड़ी अग्रिम अनुमान्य होगा।

(iv) मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री राशि रु0 20,00,000/– (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक मोटरगाड़ी क्रय कर सकेंगे।

9. **नियमों की व्याख्या एवं संशोधन की शक्ति–**

(i) राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या करने तथा समय–समय पर इसमें संशोधन करने का अधिकार होगा।

(ii) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा तब वह 14 दिनों की

कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र या क्रमवर्ती दो सत्रों को मिलाकर हो, और उस सत्र अथवा उसके ठीक बाद होने वाले सत्र की, जिसमें वह रखा गया हो, की समाप्ति के पूर्व यदि विधान सभा, नियम में कोई उपांतरण करने हेतु सहमत हो अथवा सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह नियम, जिसके बाद यथास्थिति उस उपांतरित प्रारूप में प्रभावी होगा अथवा

कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई भी उपांतरण या वातिलीकरण उस नियम के अधीन किए गए पूर्ववर्त्ती कुछ भी की गई विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

2.7.24

(वंदना दादेल)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं०म०स०–05 / वे०मं० संशोधन –128 / 2017 883 / राँची, दिनांक 02/7/ 2024।

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव / विकास आयुक्त / सभी अपर मुख्य सचिव / सरकार के सभी प्रधान सचिव / प्रधान स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली / सरकार के सभी सचिव / सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.7.24

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं०म०स०–05 / वे०मं० संशोधन –128 / 2017 883 / राँची, दिनांक 02/7/ 2024।

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, रांची / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, एच. ई.सी. प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा / डोरंडा / रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.7.24

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं०म०स०–05 / वे०मं० संशोधन –128 / 2017 883 / राँची, दिनांक 02/7/ 2024।

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची / नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) झारखंड को संकल्प की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र (ई–गजट) में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2.7.24

सरकार के प्रधान सचिव।